

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।

पत्रांक:बे0/ 7549

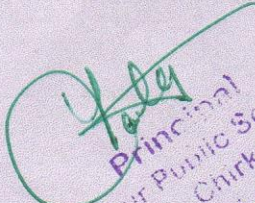
/2020-21

दिनांक 03 सितम्बर, 2020

प्रमाण पत्र

प्रबन्धक, अंकुर पब्लिक स्कूल भरतरी चिरकुला मोड जी0टी0 रोड अलीगढ़ के पत्र दिनांक:03.09.2020 के कम में सी0बी0एस0सी0 बोर्ड द्वारा विद्यालय के नवीनीकरण सम्बन्धी आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक: 08मई-2013 के बिन्दु सं0(15)पर अंकित निम्नांकित टिप्पणी "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।" के प्रावधानानुसार विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त माना जायेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़


Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manager Shemad

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh.

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।

पत्रांक:बे0/1783

/2020-21/

दिनांक 12/06/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड, लोधा अलीगढ़ की जाँच आख्या दिनांक:11.06.2020 के आधार पर अंकुर पब्लिक स्कूल भरतरी, चिरकुला मोड लोधा, अलीगढ़ शासनादेश सं0-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक: 11 जनवरी 2019 में निहित प्राविधानुसार विद्यालय मानक/शर्तों एवं आर0टी0ई0एक्ट 2009 एवं 2011 का पूर्णतः पालन कर रहा है।

डा0(लक्ष्मीकान्त पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

Mangy Shama

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

[Signature]
Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh



ANKUR PUBLIC SCHOOL

AFFILIATED TO BE C.B.S.E. (NEW DELHI)
CHIRKULA MOD, BHARTARI, G.T. ROAD, ALIGARH - 202001
Ph. No. 9457903744, 9634600456

Ref. No:.....

Date: 27/01/2017

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

विषय- अंकुर पब्लिक स्कूल, भरतरी चिरकुला मोड़ जी0टी0रोड़ अलीगढ़ विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि हमारे विद्यालय अंकुर पब्लिक स्कूल, भरतरी चिरकुला मोड़ जी0टी0 रोड़ अलीगढ़ को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ के कार्यालय पत्रांक: 14511/2015-16 दिनांक 05.11.2015 के द्वारा मान्यता प्राप्त की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुये सी0बी0एस0सी0 नई दिल्ली से दसवीं की मान्यता चाही गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ को दिनांक 03.03.2016 को सूचित कर दिया गया था।

महोदय आप शिक्षा विभाग के, मण्डल में सबसे उच्चाधिकारी हैं। इस हेतु आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आप सूचित होना चाहें।

कृपया प्रकरण आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Received
27/01/17
Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

भवदीया,
Manjy Sharma
(श्रीमती मंजू शर्मा)
प्रबन्धक
अंकुर पब्लिक स्कूल,
भरतरी चिरकुला मोड़,
जी0टी0 रोड़ अलीगढ़।

Manjy Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh



ANKUR PUBLIC SCHOOL

Bhartari, Chirkula Mod, G.T. Road, Aligarh-202 001 (U.P.)

Ph.: 094579 03744

Ref. No.: 14511/2015-16

Date: 29/02/2016

To,

B.S.A.

Zila Basic shiksha Adhikari

Aligarh. - 202001.

Sub. ⇒ Information about applying for affiliation to C.B.S.E New Delhi for secondary classes.

Dear Sir,

We are recognized and affiliated by yourself for Pre-Primary to class 8th. (English medium) for the period of 01.04.2015 to 31.03.2018 for three years vide affiliation number 14511/2015-16 dated 5/11/2015.

This is to inform you that we are applying for the affiliation to CBSE New Delhi for secondary classes.

Thanking You

Manju sharma.

Manager.

Ankur Public School.
Bhartari, Chirkula Mod.
Aligarh. - 202001.

Manju Sharma

Manager
Ankur Public School
Bhartari Chirkula Mod.
Aligarh.

Manju Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod.
Post Bhankari, G.T. R.
Aligarh

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh



Check Affidavit

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

99AC 728969

AFFIDAVIT

I Manju Sharma W/O Shri. Raj Kumar Sharma R/O 137/258, Gulshan Park Colony G.T. Road Aligarh.

Solemnly affirm and state on oath as follows :-

1. I am the manager of school name Ankur Public School, Bhartari Chirkula Mod. G.T. Road, Aligarh.
 2. This School is affiliated by Zila Basic Shiksha Adhikari (BSA), Aligarh from Pre-Primary to Class 8th (English Medium).
 3. The affiliation no. is 14511/2015-16 Dated 05/11/2015 and is valid from 01/04/2015 to 31/03/2018.
 4. This School is applied to CBSE for seeking the affiliation for secondary class for session 2017-18 vide Reg. No. SL-02617-1718.
 5. We have intimated to BSA, Aligarh (Concerned Education Department of U.P. Govt.) vide letter dated 29/02/2016 about the application made to CBSE for seeking affiliation with the board for secondary classes session 2017-18.
- Above referred letter of intimation has been received by BSA on 03/03/2016 the copy is attached with its affidavit.

Verification

The contents from serial no. 1 To 6 are true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed, so help me God.

Date :-

Deponent

Solemnly Affirmed Before me
By
Identified By
Who having been heard the contents
Hereon Admitted the same to be
correct

Ram Prakash Dixit (Advocate)
NOTARY tehsil Aligarh

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manju Sharma

Manju Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ़

सेवा में,

अंकुर पब्लिक स्कूल,

भर्तरी चिरकुला मोड़ अलीगढ़।

पत्रांक/बे०मान्यता/ 14511 /2015-16

दिनांक— 5-11-15

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 24.08.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्कर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं- अंकुर पब्लिक स्कूल, भर्तरी चिरकुला मोड़ अलीगढ़ को तारीख 01.04.2015 से तारीख 31.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है।

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसने किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संवर्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5-सोसइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(1)-प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2)- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।

(3)-प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)-प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)-अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्थ/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6)-अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।

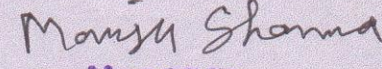
(7)-अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(8)-अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-


Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh


Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह कार्यालय-सहमण्डारागार के लिये कक्षा

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई

बाधारहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता

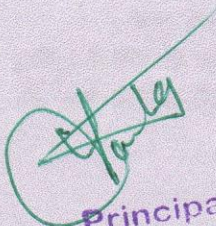
- 9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी ।
- 10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है
- 11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
- 12-स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।
- 13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।
- 14-आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें ।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।
- 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।
- 17-सलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

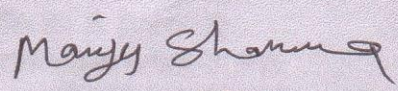
भवदीय

(संजय कुमार शुक्ल)

जिला बालिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ़ ।


Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh


Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh